7

CAI-87053/15

Tel :- 06341-223304
Email :- ddc-sheikhpura-bih@nic.in
Fax :- 224903

कार्यालय,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा

मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्वा, पानापुर, बेलाव, चोढदरगाह तथा सियानी में सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के पश्चात् दिनांक–26.02.2015 को श्री प्रणव कुमार (भा0प्र0से0), जिला पदाधिकारी,शेखपुरा की अध्यक्षता में आयोजित जिला जनसुनवाई की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा पंजी।

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–216672 दिनांक–16.01.2015 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत सर्वा, पानापुर, बेलाव में दिनांक–12.02.2015 को सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा तथा दिनांक–19.02.2015 को ग्राम पंचायत चोढ़दरगाह एवं सियानी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। जिला जनसुनवाई में उक्त पाँचो पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षीय पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर एवं विभाग द्वारा नामित डी0आर0पी0 तथा इनके द्वारा चयनित बी0आर0पी0 द्वारा उठाये गए आपत्तियों का निष्पादन किया गया।

ग्राम पंचायत :– सर्वा (बरबीघा)

ग्राम पंचायत सर्वा में हुए विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों द्वारा सरकार से मनरेगा मजदूरों को 250/–रू0 मजदूरी देने एवं ग्रामीण मजदूरों द्वारा हर एक परिवार को अलग अलग जॉब कार्ड बनाने की मांग किया गया।

- ➢ कार्यक्रम पदाधिकारी, बरबीघा द्वारा बताया गया कि अद्यतन विभागीय निदेश के अलोक में मनरेगा मजदूरों को 177/–रू0 की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, तथा 22 लोगों से नए जॉब कार्ड बनाने हेतु प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात सभी का जॉब कार्ड बना दिया गया है।
- ➢ श्री सुधीर पासवान, डी0आर0पी0 बताया गया कि ग्राम पंचायत सर्वा अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर के सुलों ढाँढ़ी एवं रतन ढाँढ़ी ने इन्हें बताया है कि इनका जॉब कार्ड कहाँ हैं, इन्हें खुद नही मालूम है। परन्तु ये मनरेगा में कार्य किये है।
- ➢ जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा श्री सुधीर पासवान डी0आर0पी0 से पूछा गया कि क्या आपने यह पता करने की कोशिश किया कि इनका जॉब कार्ड कहां है? यदि इनके द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया है एवं इन्होनें भुगतान प्राप्त किया है तो आपने पासबुक देखा है।
- ➢ इस पर सुधीर पासवान द्वारा बताया गया कि इन्होने यह जानने की कोशिश नही की।
- ➢ जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी अरियरी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी,शेखपुरा को निदेश दिया गया कि इसकी जांच कर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करें कि उक्त दोनों मजदूर मनरेगा में कार्य किये है या नहीं तथा इन्हें कितना मजदूरी भुगतान हुआ है साथ ही इनका जॉब कार्ड एवं पासबुक कहाँ है। इसके अतिरिक्त पंचायत में इस प्रकार की कोई अन्य मामला हो, जिसमें मजदूर के पास जॉब कार्ड एवं पासबुक नही है, यदि कोई मजदूर मनरेगा में कार्य करने के इच्छुक है, परन्तु इन्हें जॉबकार्ड निर्गत नही हुआ है, इसकी भी जांच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगें।

ग्राम पंचायत :– पानापुर (घाटकुसुम्भा)

ग्राम पंचायत पानापुर में हुए विशेष ग्राम सभा में पानापुर के लोगों द्वारा मनरेगा योजना संख्या–09/2013–14, 10/2013–14, 11/2013–14 एवं 12/2013–14 में मजदूरी भुगतान नही होने की बात बताया गया तथा ग्राम प्राणपुर के लोगो के द्वारा शिकायत किया गया कि महमदपुर टोला, प्राणपुर के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य में प्राणपुर गांव के मजदूरों से कार्य नही कराकर पानापुर के मजदूरों से कार्य कराया गया हैं। कुछ बनपोषक को भुगतान न होने का भी मामला आया।

- ➢ प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह– कार्यक्रम पदाधिकारी,घाटकुसुम्भा द्वारा बताया गया कि योजना में कार्य करने वाले मजदूरों का खाता पोस्ट ऑफिस में खुला हुआ है परंतु बैंक में मजदूरों का खाता नही रहने के कारण भुगतान नही हो पाया। डाकघर लखीसराय द्वारा चेक नही लिया जा रहा है एवं 54756/–रू0 का चेक वापस लौटा दिया गया है। मजदूरों का खाता बैंक में खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

- बी0आर0पी0 श्री महेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि बाढ़ के कारण ग्राम पंचायत पानापुर में पेड़ सूख गए है मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नही हुआ है। परन्तु इनके द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि किस योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नही हुआ है।
- जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा बी0आर0पी0 से पूछा गया कि वृक्षारोपण के किस योजना में मजदूरी का भुगतान नही हुआ है। क्या योजनास्थल पर वृक्ष जीवित है? क्या आपने योजना स्थल देखा है?
- बी0आर0पी0 श्री महेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि उन्होनें योजनास्थल नही देखा है।
- ग्राम पंचायत पानापुर के पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण की योजना पूर्व के पंचायत रोजगार सेवक द्वारा पेड़ सूख जाने के कारण बंद कर दिया गया है।
- जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा ग्राम पंचायत पानापुर के पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया गया कि बी0आर0पी0 द्वारा जिस वृक्षारोपण कि योजना में मजदूरों का बकाया होने की बात बताई जा रही है, उन मजदूरों की सूची बी0आर0पी0 से प्राप्त कर जॉच कर ली जाय कि ये मजदूर उस योजना में कार्य किए है, मस्टर रॉल जनरेट हुआ है या नही, तथा पेड़ जीवित है या नही। साथ ही पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेवारी होगी कि 15 दिनों के अंदर सभी सक्रिय मजदूरों का खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में खुलवाना सुनिश्चित करेंगें। प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– कार्यक्रम पदाधिकारी घाटकुसुम्भा का यह दायित्व होगा की पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बैंक में खोले गए खातों की समीक्षा एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बैंक में खाता खोलने हेतु तैयार किये गए फार्म को बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगें। यदि पंचायत रोजगार सेवक को बैंक में खाता खोलने में यदि कोई परेशानी हो तो वे बैंक के साथ समन्वय स्थापित करेगें तथा पंचायत में शिविर लगाकर खाता खुलवाने की कार्रवाई करेंगें।

<u>ग्राम पंचायत :– बेलाव (शेखापुरसराय)</u>

ग्राम पंचायत बेलाव में हुए विशेष ग्राम सभा में वित्तीय वर्ष 2013–14 की छः योजना में 538976/–रू0, वित्तीय वर्ष 2014–15 की चार योजनाओं में 196506/–रू0 का मजदूरी भुगतान बकाया होने का मामला एवं छः मजदूरों का जॉब कार्ड बनाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

- प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह– कार्यक्रम पदाधिकारी शेखोपुरसराय द्वारा बताया गया कि पंचायत में राशि उपलब्ध नही है, eFMS के माध्यम से राशि प्राप्त होने पर लंबित बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। सभी छः लोगो का जॉब कार्ड बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है।
- जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम पदाधिकारी,शेखोपुरसराय को निदेश दिया गया कि सभी सक्रिय मजदूरों का बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाना एवं MIS पर फ्रीज कराना सुनिश्चित करेंगें। तत्पश्चात ही राशि भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। पंचायत में सर्वे कर सभी इच्छुक मजदूरों को जॉब कार्ड निर्गत कर दिया जाय।

<u>ग्राम पंचायत :– चोढदरगाह (अरियरी)</u>

ग्राम पंचायत चोढदरगाह में हुए विशेष ग्राम सभा में जॉब कार्ड से संबंधित मामले आए।

- कार्यक्रम पदाधिकारी, अरियरी द्वारा बताया गया कि 24 ग्रामीणों के जॉब कार्ड का नवीनीकरण कर दिया गया तथा नए जॉब कार्ड निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करते हुए जॉब कार्ड निर्गत कर दिया गया है।
- जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी अरियरी को निदेश दिया गया कि शिविर का आयोजन कर एक सप्ताह के अंदर सभी इच्छुक परिवरों को जॉब कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जाय, तथा प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

<u>ग्राम पंचायत :– सियानी (चेवाड़ा)</u>

ग्राम पंचायत सियानी में हुए विशेष ग्राम सभा में जॉब कार्ड निर्गत करने हेतु 29 आवेदन प्राप्त हुआ तथा बेलछी गांव के विरेश पासवान, रामलगन पासवान तथा अन्य मजदूरों का मजदूरी बकाया होने का मामला आया।

- कार्यक्रम पदाधिकारी, चेवाड़ा द्वारा बताया गया कि 29 मजदूरों से जॉब कार्ड निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों का सत्यापन पश्चात जॉब कार्ड निर्गत कर दिया गया है। पंचायत में राशि के आभाव के कारण मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान नही किया गया है। पंचायत को राशि प्राप्त होने पर मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
- श्री सुधीर पासवान, डी0आर0पी0 द्वारा बताया गया कि श्री विशुनदेव पासवान द्वारा उकसी गांव में योजना संख्या 18/13–14 में कार्य नही किया गया है, परन्तु इनके नाम पर राशि की निकासी की गई है।

➢ जिला पदाधिकारी,शेखपुरा द्वारा प्रखंड़ विकास पदाधिकारी,चेवाडा एवं कार्यक्रम पदाधिकारी,चेवाड़ा को बिना कार्य किए ही राशि का निकासी किये जाने की जॉचकर संयुक्त जॉचप्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया है। मामलें की सत्यता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय।

राज स्त्रोत व्यक्ति द्वारा जिला जनसुनवाई में जिला प्रशासन द्वारा लिये गए निर्णय की सराहना किया गया है। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वैसे बसावटों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाय, जहां के ग्रामीण मनरेगा योजना के बारे में जान नही रहे है परन्तु मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक है, तथा सभी सक्रिय मनरेगा मजदूरों का शत् प्रतिशत बैंक में खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाना तथा MIS पर Freez करना सुनिश्चित करेंगें। बैंक में खाता खुला लिये जाने का प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

अंत में जिला जनसुनवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

ज्ञापांक 472/ **दिनांक** 09.03.15/

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड़ विकास पदाधिकारी / कार्यक्रम पदाधिकारी,शेखपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/3/15

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।